कार्यालय गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) वाहन हेतु

(दर प्रस्ताव/निविदा फार्म के समस्त कमाकों की सूचना को स्पष्ट व साफ–साफ अकिंत करें

1. वाहन का नाम ....
2. दर प्रस्ताव/निविदादाता का नाम ....
3. आधार संख्या ....
4. पिता/पति का नाम ....
5. स्थायी पता (अनिवार्य)...
   ....

6. पत्र व्यवहार का पता ....
   ....

7. .दूरभाष संख्या ....मोबाइल न0...
8. वाहन दर...
9. जमा अनेस्ट मनी विवरण (बैकं का नाम)..

एफ0डी0आर संख्या ....धनराशि रू0...............................दिनांक ....

10. वाहन के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न (हॉ/नही)..

11. वाहन के बीमे की छायाप्रति संलग्न (हॉ/नही)..

12. वाहन के परमिट की छायाप्रति संलग्न (हॉ/नही)..

13. वाहन के टैक्स रसीद की छायाप्रति संलग्न (हॉ/नही)...

14. वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न हॉ/नही)...
15.दर प्रस्ताव/निविदादाता को फार्म के साथ आई0डी0 पूफ के रूप में आधार कार्ड, डी0एल0 की छाया प्रति संलग्न करें।

दिनांक

हस्ताक्षर दर प्रस्ताव/निविदादाता.......................................
पूरा नाम ....
पता ....
मोबाइल न0..

कार्यालय गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र,
काशीपुर – ऊधमसिंह नगर

पंत्राक 39 दिंनाक 31/05/2025

अल्पकालीन दर प्रस्ताव /निविदा सूचना

संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड पदेन संयुक्त निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एंव प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर के प्रयोजनार्थ एक वाहन Mahindra Bolero Neo TUV 300,Maruti Suzuki Ertiga, Honda Amaza में से कोई एक मय चालक सहित जो कि 3 वर्ष से पुराना न हो वाहन का आधार/सन्दर्भ दर शासनादेश संख्या 212/IX-1/72016/2011/2023 परिवहन अनुभाग –1 देहरादून दिंनाक 17 फरवरी 2023 में उल्लेखित नियमों शर्ते एंव समय समय पर जारी अन्य नियमो एवं बिन्दु संख्या 05 (2) की तालिका के कम संख्या 02 श्रेणी सी पर पर दर्शित किराये की मासिक दर अंकन रू0 44530.00 (चवालिस हजार पाच सौ तीस मात्र) से सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश के अधीन पंजीकृत वाहन स्वामियों से (विना वाहन चालक) दर प्रस्ताव दिंनाक 17.06.2025 को अपरान्ह 1.00 बजे तक मुहर बन्द रूप में आमत्रिंत की जाती है। इसी तिथि को अपरान्ह 02.00 बजे उपस्थित दर प्रस्ताव/निविदादाताओं के सम्मुख गठित समिति द्वारा खोले जायेगें। बिना कारण बताये किसी भी प्रस्ताव/निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार समिति के अध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा।

दर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये इच्छुक फर्म को अंकन रू0 10000,00 (दस हजार मात्र) की प्रतिभूति संयुक्त निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर के नाम से बंधक करते हुए एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में प्रस्तुत करते हुए वाहन से सम्बन्धित समस्त स्वप्रमाणित अभिलेख जमा करने होगें। विस्तृत जानकारी व दर प्रस्ताव/निविदा हेतु आवश्यक शर्ते विभागीय वेबसाइट SUGURCANE.UK.GOV.IN पर अथवा कार्यालय में उपस्थित होकर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

(चन्द्र सिंह इमलाल)
अपर आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड
/अध्यक्ष किराया निर्धारण समिति

वाहन दर/निविदा हेतु आवश्यक शर्ते 2025–26

टैक्सी वाहन मासिक/दैनिक दरों पर विना वाहन चालक वर्ष 2025–26 हेतु माह मार्च 2026 तक उपलब्ध कराने के लिए पंजीकृत ट्रैवल एजेन्सियों/फर्म (जी0एस0टी0 में पंजीकृत हो) से दर प्रस्ताव/निविदा निम्नलिखित शर्तो एवं पात्रता स्वसत्यापित छायाप्रति हार्डकापी संयुक्त निदेशक, गन्ना किसान सस्थान एंव प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर के पते पर संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(क) निर्धारित प्रारूप के साथ निम्नलिखित प्रपत्रों का संलग्न होना आवश्यक है :–

1. धरोहर राशि रू0 10,000.00 (दस हजार मात्र) का एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप मे जो संयुक्त निदेशक गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से बंधक होगी, संलग्न करना आवश्यक है।
2. फर्म/फर्म स्वामी के नाम ही वाहन होना चाहिए। वाहन से सम्बन्धित स्वप्रमाणित अभिलेख की छायाप्रति संलग्न हो।
3. वाहन राज्य एवं अन्य राज्य मे यात्रा हेतु वैध हो, सम्पूर्ण भारत हेतु व्यवसायिक परमिट आवश्यक है। छायाप्रति संलग्न करें।

(ख) अनिवार्य शर्ते:–

1. फर्म/वाहन स्वामी अधिकृत किये गये वाहन को संयुक्त गन्ना एंव चीनी आयुक्त कार्यालय आयुक्त, गन्ना विकास एंव चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड/सहायक गन्ना आयुक्त देहरादून के कार्यालय परिसर में रखना होगा व बिना पूर्व अनुमति के वाहन को कही भी नही लेकर जायेगा।
2. वाहन किसी भी दशा में आवेदन की दिनांक को तीन वर्ष पुराना नही होना चाहिये। वाहन की आयु की गणना हेतु पंजीकरण दिनांक को आधार माना जायेगा तथा वाहन का मेक माडल वर्ष 2022 या उसके बाद के माडल को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. वाहन की जांच के उपरान्त ही वाहन का चयन किया जायेगा।
4. दर प्रस्ताव/निविदा के साथ रजिस्ट्रेशन, परमिट बीमा व सम्बन्धित प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
5. वाहन का अनुबन्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 के माह 31 मार्च 2026 तक किया जायेगा तथा समयानुसार बढाया/घटाया जा सकता है।
6. वाहन का पंजीकरण रजिस्टर्ड परमिट उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश में मान्य होना चाहिए।
7. वाहन कच्ची/पक्की सडकों पर उपयोग किया जायेगा तथा रात्रि विश्राम किया जा सकता है।
8. सफल प्रस्ताव/निविदादाताओं से रू0 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य आदेश निर्गत करने से पूर्व अनुबन्ध किया जायेगा।
9. वाहन का औसत 10 किमी0 प्रति लीटर होना चाहिये एंव ईधन की व्यवस्था विभाग द्वारा की जायेगी। टौल टैक्स पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान फर्म/वाहन स्वामी को विभाग द्वारा किया जायेगा । वाहन पर टौल टैक्स हेतु फास्ट टैग वाहन स्वामी/फर्म द्वारा लगाया जायेगा। जी0एस0टी0/अन्य टैक्स का भुगतान स्वंय फर्म/वाहन स्वामी द्वारा किया जायेगा। जी0एस0टी0/अन्य टैक्स हेतु विभाग द्वारा (किराया व टौल टैक्स के अतिरिक्त) कोई अन्य धनराशि का भुगतान नही किया जायेगा।
10. वाहन का अनुरक्षण विभागीय मानको के अनुसार होना चाहिए। सर्विसिंग एंव अन्य लुब्रीकेन्ट तथा मरम्मत आदि की व्यवस्था वाहन स्वामी द्वारा की जायेगी।
11. फर्म/वाहन स्वामी द्वारा अंकन रू0 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ देनी होगी कि वाहन को सम्बन्धित विभाग द्वारा अपने चालक से संचालन कराये जाने पर मुझे या मेरी फर्म को कोई आपत्ति नही होगी। उक्त अनुबन्ध की अवधि में वाहन पर जो भी टूट फूट, जोखिम आदि होंगे उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी या मेरी फर्म की होगी।
12. वाहन की मरम्मत, दुर्घटना, आदि की स्थिति में वाहन स्वामी द्वारा दूसरा समकक्ष वाहन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
13. वाहन से सम्बन्धित अभिलेख सदैव वाहन के साथ होने चाहिए।
14. वाहन के किराये का भुगतान माह के समाप्त होने उपरान्त धनावंटन उपलब्ध होने पर किया जायेगा।
15. सशर्त दर निविदा मान्य नही होगी।
16. परिवहन विभाग से सम्बन्धित सभी टैक्स व न्याय पालिका से समबन्धित काई भी विवाद का निपटारा वाहन स्वामी/फर्म द्वारा किया जायेगा
17. दर प्रस्ताव/निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार समति के अध्यक्ष के पास होगा।
18. अन्य शर्ते सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के पंत्राक संख्या 212/IX-1/72016/2011/2023 परिवहन अनुभाग –1 देहरादून दिनांक 17 फरवरी 2023 में उल्लेखित नियम व शर्ते एंव समय–समय पर जारी अन्य नियम लागू होगें।

(चन्द्र सिंह इमलाल)
अपर आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड
/अध्यक्ष किराया निर्धारण समिति